

**राजस्थान विधान सभा**  
**चतुर्थ सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2015**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

**3. याचिका का उपस्थापन**

श्री कृष्णा कडवा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र संगरिया की तहसील टिब्बी में इंदिरा गांधी नहर की 22 आर.डी. पर पुल निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

**4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

(I) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री हीरालाल, सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 2014-2015, समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

**5. विधायी कार्य**

**(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक**

**राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015**

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान विरासत संरक्षण  
विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-18)

"राजस्थान राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान, प्रलेखीकरण, संरक्षण और विनियमन के लिये तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

**(I) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-  
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-4) "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(II) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-  
राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-5) "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(III) राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-  
राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-16) 'ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए विधेयक।'
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव**

विधान सभा भवन,  
जयपुर ।  
दिनांक : 26 मार्च, 2015